

# न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं० : 183/17

अनवान :

1. सुनील कुमार पुत्र स्व० महावीरसिंह पौत्र भागमल निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

## बनाम

1. भागमल पुत्र श्री गणपतराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. बजरंग पुत्र भागमल } कौम जाट निवासीगण खचवाना
3. प्रतापसिंह पुत्र भागमल } तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. राजेश्वरी पुत्री भागमल पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी खचवाना हाल निवासी गुसाईयाना तहसील व जिला सिरसा।
5. विमला पुत्री भागमल पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी खचवाना हाल निवासी गुसाईसाना तहसील व जिला सिरसा।
6. मुलादेवी पत्नी स्व. महावीरसिंह पुत्र भागमल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. माया पुत्री स्व. महावीरसिंह पत्नी भगतसिंह जाति जाट निवासी खचवाना हाल निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।
9. ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा नेटराना जरिये बैंक प्रबन्धक ओबीसी शाखा नेटराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकार हक

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण : वादी

निर्णय

दिनांक : 19.4.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक नं० 4 डीपीएन के खाता सं० 77/80 के मु०नं० 29 के किला नं० 16 ता 24 की 2.277 है० मु०नं० 30 के किला नं० 7, 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की कुल 2.783 है० मुरबा नं० 33 के किला नं० 10, 11, 20, 21 की कुल 1.012 है० मुरबा नं० 35 के किला नं० 3, 4, 5 की कुल 0.759 है० मुरबा नं० 36 के किला नं० 1, 2 की 0.506 है० इस प्रकार खाते का कुल योग 7.337 है० नहरी मय रास्ता एवं खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी सं० 1 भागमल का 1/2 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

चक 5 डीपीएन के खाता सं० 92/92 के मुरबा नं० 50 के किला नं० 13 ता 17, 24, 25 की कुल 1.771 है० मुरबा नं० 51 के किला नं० 6, 7, 11 ता 25 की कुल 4.301 है० मुरबा नं० 52 के किला नं० 1 ता 10 की 2.530 है० मुरबा नं० 53 के किला नं० 4, 5 की 0.506 है० इस प्रकार खाते का कुल योग 9.108 है० नहरी एवं

बारानी मय रास्ता व खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड है, जिसमें प्रतिवादी सं० 1 भागमल का 1/2 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।


चक 4 एनटीआर के खाता सं० 39/37 के मुरबा नं० 31 के किला नं० 17 ता 24 की कुल 2.024 है० मुरबा नं० 34 के किला नं० 1 ता 4, 6 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 की कुल 5.060 है० मुरबा नं० 35 के किला नं० 10, 11, 12, 19 ता 22 की कुल 1.771 है० मु०नं० 42 के किला नं० 1, 2, 9, 10 की कुल 1.012 है० मुरबा नं० 43 के किला नं० 2 ता 9 की कुल 2.024 है० इस प्रकार खाते का कुल योग 11.891 है० नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी सं० 1 भागमल के नाम 6.325/2 हिस्सा यानि 3.1625 है० नहरी कृषि भूमि दर्ज है।

प्रतिवादी सं० 1 भागमल को उपरोक्त कृषि भूमि अपने पिता गणपत से विरासतन प्राप्त हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक व दादालाई सम्पति है जिसमें मुझ वादी सुनील कुमार व प्रतिवादी सं० 2 ता 7 का जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया सं० 4 राजेश्वरी व प्रतिवादीया सं० 5 विमला वादी की भूआ है उन्होंने अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 बजरंग, प्रतिवादी सं० 3 प्रतापसिंह व प्रतिवादीया सं० 6 मुलादेवी के पक्ष में राजी-खुशी हिन्दू रिति रिवाज की परम्परा के मुताबिक परित्याग कर दिया है व इसी प्रकार प्रतिवादीया सं० 7 जो कि वादी की बहन है ने अपना हिस्सा वादी के पक्ष में व प्रतिवादीया सं० 6 वादी की माता मुलादेवी के पक्ष में परित्याग कर दिया है। उन्होंने कभी भी उपरोक्त कृषि भूमि को काश्त नहीं किया है। उक्त कृषि भूमि को वादी व प्रतिवादीगण सं० 2, 3 व 6 की काश्त करते है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 7 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि विवादित कृषि भूमि वादी की पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 4, 5 डीपीएन, 4 एनटीआर में अपने पिता में राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में समर्थन में जो भूप्रबन्ध विभाग, खतौनी बन्दोबस्त की जमाबन्दियां प्रदर्श 6 व 7 प्रदर्शित करवाई है उनमें वाद भूमि वादी के दादा गणपत के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिससे चक 4 व 5 डीपीएन की वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं प्रस्तुत वारिस प्रमाण प्रदर्श 1 में भागमल के जायज वारिसान में पत्नी जयकोरी मौजूद, दो पुत्र बजरंग व प्रतापसिंह मौजूद व एक पुत्र महावीर फौत, दो पुत्रियां राजेश्वरी व बिमला मौजूद होना अंकित किया है एवं मुताबिक राजीनामा पक्षकारान ने चक 4 व 5 डीपीएन की कृषि भूमि को ही पैतृक बनाते हुए घोषणात्मक अनुतोष चाहा है व चक 4 एनटीआर की कृषि भूमि



को प्रतिवादी सं० 1 के नाम यथावत् रखने का निवेदन किया है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक नं० 4 डीपीएन के खाता सं० 77/80 के मु० नं० 29 के किला नं० 16 ता 24 की 2.277 है० मु० नं० 30 के किला नं० 7, 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की कुल 2.783 है० मुरबा नं० 33 के किला नं० 10, 11, 20, 21 की कुल 1.012 है० मुरबा नं० 35 के किला नं० 3, 4, 5 की कुल 0.759 है० मुरबा नं० 36 के किला नं० 1, 2 की 0.506 है० इस प्रकार खाते का कुल योग 7.337 है० नहरी मय रास्ता एवं खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी सं० 1 भागमल का 1/2 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व इसी प्रकार चक 5 डीपीएन के खाता सं० 92/92 के मुरबा नं० 50 के किला नं० 13 ता 17, 24, 25 की कुल 1.771 है० मुरबा नं० 51 के किला नं० 6, 7, 11 ता 25 की कुल 4.301 है० मुरबा नं० 52 के किला नं० 1 ता 10 की 2.530 है० मुरबा नं० 53 के किला नं० 4, 5 की 0.506 है० इस प्रकार खाते का कुल योग 9.108 है० नहरी एवं बाराणी मय रास्ता व खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड है, जिसमें प्रतिवादी सं० 1 भागमल का 1/2 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी सं० 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी सुनील कुमार व प्रतिवादिया सं० 6 मुलादेवी दोनों 1/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी सं० 2 बजरंग 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 3 प्रतापसिंह 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चक 4 एनटीआर की कृषि भूमि जो कि प्रतिवादी सं० 1 भागमल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसकी प्रविष्टि यथावत् रखी जावे। चूंकि प्रतिवादी सं० 4 राजेश्वरी व प्रतिवादिया सं० 5 विमला वादी की भूआ है उन्होंने अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 बजरंग, प्रतिवादी सं० 3 प्रतापसिंह व प्रतिवादिया सं० 6 मुलादेवी के पक्ष में त्याग दिया है व इसी प्रकार प्रतिवादिया सं० 7 जो कि वादी की बहन है ने अपना हिस्सा वादी के पक्ष में व प्रतिवादिया सं० 6 वादी की माता मुलादेवी के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क अदा करने एवं यदि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.4.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजकुमार कस्वा)

उपरवर्णित अधिकारी (राजस्व)  
उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पर्चा डिक्री

### न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं० : 183/17

अनवान :

1. सुनील कुमार पुत्र स्व० महावीरसिंह पौत्र भागमल निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

#### बनाम

1. भागमल पुत्र श्री गणपतराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. बजरंग पुत्र भागमल } कौम जाट निवासीगण खचवाना
3. प्रतापसिंह पुत्र भागमल } तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. राजेश्वरी पुत्री भागमल पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी खचवाना हाल निवासी गुसाईयाना तहसील व जिला सिरसा।
5. विमला पुत्री भागमल पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी खचवाना हाल निवासी गुसाईसाना तहसील व जिला सिरसा।
6. मुलादेवी पत्नी स्व. महावीरसिंह पुत्र भागमल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. माया पुत्री स्व. महावीरसिंह पत्नी भगतसिंह जाति जाट निवासी खचवाना हाल निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।
9. ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा नेठराना जरिये बैंक प्रबन्धक ओबीसी शाखा नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।


- प्रतिवादीगण


आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक नं० 4 डीपीएन के खाता सं० 77/80 के मु०नं० 29 के किला नं० 16 ता 24 की 2.277 है० मु०नं० 30 के किला नं० 7, 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की कुल 2.783 है० मुरबा नं० 33 के किला नं० 10, 11, 20, 21 की कुल 1.012 है० मुरबा नं० 35 के किला नं० 3, 4, 5 की कुल 0.759 है० मुरबा नं० 36 के किला नं० 1, 2 की 0.506 है० इस प्रकार खाते का कुल योग 7.337 है० नहरी मय रास्ता एवं खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी सं० 1 भागमल का 1/2 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व इसी प्रकार चक 5 डीपीएन के खाता सं० 92/92 के मुरबा नं० 50 के किला नं० 13 ता 17, 24, 25 की कुल 1.771 है० मुरबा नं० 51 के किला नं० 6, 7, 11 ता 25 की कुल 4.301 है० मुरबा नं० 52 के किला नं० 1 ता 10 की 2.530 है० मुरबा नं० 53 के किला नं० 4, 5 की 0.506 है० इस प्रकार खाते का कुल योग 9.108 है० नहरी एवं बारानी मय रास्ता व खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड है, जिसमें प्रतिवादी सं० 1 भागमल का 1/2 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं० 1

सुनील कुमार बनाम भागमल आदि पर्चा डिक्री

का नाम कलमजन किया जाकर वादी सुनील कुमार व प्रतिवादिया सं० 6 मुलादेवी दोनों 1/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर, प्रतिवादी सं० 2 बजरंग 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 3 प्रतापसिंह 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चक 4 एनटीआर की कृषि भूमि जो कि प्रतिवादी सं० 1 भागमल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसकी प्रविष्टि यथावत् रखी जावे। चूंकि प्रतिवादीया सं० 4 राजेश्वरी व प्रतिवादिया सं० 5 विमला वादी की भूआ है उन्होंने अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 बजरंग, प्रतिवादी सं० 3 प्रतापसिंह व प्रतिवादीया सं० 6 मुलादेवी के पक्ष में त्याग दिया है व इसी प्रकार प्रतिवादिया सं० 7 जो कि वादी की बहन है ने अपना हिस्सा वादी के पक्ष में व प्रतिवादिया सं० 6 वादी की माता मुलादेवी के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क अदा करने एवं यदि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक .....19.4.18... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
(राजकुमार कस्वा)

उपरवर्द्धाधिकारी (R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़